

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 3942

दिनांक :- 19-06-24

आदेश संख्या:- 113 /2024-25

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुत्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रुत्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में एल-13 स्वीकृत की जाती हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 द्वारा Modified Assured Career Progression Scheme (एम.ए.सी.पी) योजना के प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में कार्मिकों द्वारा नियम 14 के विन्दु संख्या 6 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को दिनांक 01.04.2023 का एम.ए.सी.पी हेतु विकल्प दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें कॉलम संख्या 07 के अनुसार दिनांक 01.04.2023 से एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स में लेवल **एल-14** स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	तृतीय एम.ए.सी.पी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कै.जार्ज अली (सेवानिवृत्त)	894/86	8562	21.10.1988	21.10.2018	-	दिनांक 01.08.2002 के पश्चात बच्चों की कुल संख्या 3 होने के कारण
2.	विनोद कुमार स्वामी	488/94	6060	26.02.1996	26.02.2023	01.04.2023	
3.	दिनेश कुमार सोनी	344/94	4271	22.02.1996	22.02.2023	01.04.2023	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(श्रेष्ठ मिश्रा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी / 1994-III/ 3943-48

दिनांक :- 19-06-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)